भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 545

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

तमिलनाडु में नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

545. थिरु दयानिधि मारन :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वित्त वर्ष में तमिलनाडु के लिए किन्हीं नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के भीतर कनेक्टीविटी में सुधार लाने के लिए मौजूदा राजमार्गों के विस्तार अथवा उन्नयन की योजना है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में चेन्नई-बैंगलुरू अथवा चेन्नई-कन्याकुमारी गलियारों जैसे औद्योगिक गलियारों का विकास अथवा विस्तार करने की योजनाएं हैं ताकि आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूरे तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और औद्योगिक केन्द्रों में सड़क अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या तमिलनाडु की आगामी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा वाले राजमार्गों अथवा सड़कों पर कतार से पेड़ लगाने जैसी हरित पहलों को शामिल करने की योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार तमिलनाडु में सड़क निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरणीय सततता को किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना बना रही है; और

(छ) क्या तमिलनाडु में नदी क्रॉसिंग, पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों या सुरंगों के निर्माण के लिए नए प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के भीतर संपर्कता बढाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, मौजूदा राजमार्गो के विस्तार या उन्नयन की योजना का विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग) चेन्नई बैंगलोर एक्सप्रेसवे परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों या औद्योगिक गलियारों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विकास के लिए तमिलनाडु सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और औद्योगिक केंद्रों को उचित सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई गई है। हालांकि, सरकार किसी भी एसईजेड या औद्योगिक केंद्र की सड़क संपर्कता पर उसकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की जांच करने के बाद विचार कर सकती है।

(ड.) राज्य में क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग अनुबंधों में सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान शामिल है। भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, मध्य में या मार्गाधिकार के किनारे या बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के प्रावधान हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में किए जाते हैं।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लागू करते समय पर्यावरण स्थिरता पर सरकार की सभी आवश्यकताओं/प्रावधानों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

(छ) तमिलनाडु में नदी पार, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों या सुरंगों के निर्माण के नए प्रस्तावों के बारे में विवरण **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

अनुबंध-क

'तमिलनाडु में नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं' के संबंध में थिरु दयानिधि मारन द्वारा पूछे गए दिनांक 06 फरवरी, 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
	एनएचएआई:		
1	रारा-332ए के महाबलीपुरम से पांडिचेरी खंड को चार लेन का बनाया जाएगा	47.0	1943.0
2	रारा-45 (नया रारा-32) के 32/000 से 50/000 खंड तक किलाम्बक्कम / उरपक्कम से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण	18.0	2950.0
3	रारा-45 (नया रारा-32) के किमी 55.000 से किमी 122+100 खंड तक चेंगलपट्टू से तिंडीवनम तक 6/8 लेन का निर्माण	67.1	3853.1
4	रारा-48 (पैकेज -1) के मदुरावोयल (चेनेज किमी 14+000) से चेन्नई आउटर रिंग रोड (चेनेज किमी 22+100) तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण	8.1	1476.8
5	श्रीपेरंबदूर (किमी 35/150) तक रारा-48 (पैकेज-2) पर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण	13.1	1808.4
6	कुड्डालोर बंदरगाह से रारा-532 के प्रारंभिक बिंदु तक सड़क संपर्क को चार लेन का बनाना	1.4	62.9
7	राजपलायम से शेनकोट्टई खंड को चार लेन का बनाना (पैकेज-1 और 2)	68.3	4087.0
8	रारा-83 पर नागपट्टिनम - तंजावुर खंड पर तिरुवरुर बाईपास	14.2	470.0
9	रारा-67 (त्रिची बाईपास) के त्रिची- करूर खंड का शेष कार्य	20.0	1616.0
10	रारा-67 के 4 लेन विन्यास खंड के रूप में मौजूदा 2-लेन+पीएस (पुराने रारा-67 के लिए रिंग रोड) का उन्नयन	25.9	
11	रारा-38 (पुराना रारा-45बी) के त्रिची-मदुरै खंड के किमी 4/000 से किमी 7/000 तक एलिवेटेड कॉरिडोर और ग्रेड सुधार, जिसमें पुराने रारा-67 के त्रिची बाईपास पर फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है।	3.0	
	कुल (एनएचएआई)(11 संख्या)	**286.0**	**18,267.2**
	राज्य पीडब्ल्यूडी:		
1	रामनाथपुरम (पेरुंगुलम) किमी को 4 लेन का बनाना। 127.289 (डिज़ाइन अध्याय 127/025) से मंडपम कि.मी. 150.975 (डिज़ाइन अध्याय 150/500) रारा-87 (पैकेज II) (रामनाथपुरम- धनुस्कोडी रोड) जिसमें एलए भी शामिल है	23.69	1485.30
2	(रारा-38) (पुराना रारा-234)" (तिरुवन्नामलाई बाईपास) के किमी 135/550 से किमी 157/550 तक 4एल+पीएस तिरुवन्नामलाई	22.00	1239.59

	बाईपास का निर्माण एलए सहित		
3	एनएच 75 के किमी 47/4 पर वेल्लोर टाउन शाखा के लिए बाईपास का निर्माण एनएच 38 (मैंगलोर- विल्लुपुरम रोड) के 12/650 पर समाप्त होता है।	21.00	499.00
4	तिरुपथुर- वानियमबड्डी रोड) के किमी 47/750-55/140 से हरुर शहर तक बाईपास का निर्माण, जिसमें एल.ए. भी शामिल है	8.77	227.00
5	एलए सहित एनएच 219 (कृष्णागिरी - कुप्पम रोड) के किमी 6/660-10/410 से वरतनपल्ली शहर तक बाईपास का निर्माण	4.07	78.75
6	एनएच 234 को किमी 0/0 से किमी 202/60 तक चार लेन का बनाया जाना (वेल्लोर, गुडियाथम बाईपास, वेट्टावलम और कनियमबाड़ी बाईपास और किमी 0/0-2/4 घाट सेक्शन को छोड़कर)	181.00	5395.00
7	एनएच 230 को किमी 18/4 से किमी 111/400 तक चार लेन का बनाना (कलयारकोइल और थिरुबुवनम बाईपास को छोड़कर) और एनएच 230 (नया एनएच 85) के किमी 62/6-68/2 में कलयारकोइल बाईपास का निर्माण, एनएच 383 एक्सटेंशन के किमी 28/4 से शुरू होकर एनएच 226 (नया एनएच 136) के किमी 98/4 पर समाप्त होने वाला थिरुप्पाथुर बाईपास, एनएच 383 एक्सटेंशन के किमी 4/2-9/2 में सिंगमपुनारी बाईपास का निर्माण, एनएच 49 के किमी 17/10 को एनएच 230 के किमी 19/6 से जोड़ने वाले थिरुबुवनम बाईपास का निर्माण	97.66	3081.00
8	एनएच 226 एक्सटेंशन (नया एनएच सं.136) किमी 0/0 - 24/370, 29/210 - 53/0 को चार लेन का बनाना और किमी 0/0 - 7/552 पर अरियालुर बाईपास, कावेरी के पार मुसिरी के पास एनएच 381बी को एनएच 67 से जोड़ने वाले एचएलबी का निर्माण	59.71	2647.00
9	एनएच 381ए वेल्लाकोइल - संगागिरी रोड को चार लेन का बनाना	69.10	1927.00
10	एनएच 544 पर आवश्यक स्थानों पर फ्लाईओवर और किमी 141/0 -171/2 पर सर्विस रोड के साथ 2 लेन+पीएस से 6 लेन कोयम्बटूर बाईपास का निर्माण	26.15	1338.38
	कुल(राज्य पीडब्ल्यूडी)(10 संख्या)	**513.15**	**17,918.02**
	कुल (एनएचएआई + राज्य पीडब्ल्यूडी)(21 संख्या)	**799.15**	**36,185.22**

अनुबंध-ख

'तमिलनाडु में नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं' के संबंध में थिरु दयानिधि मारन द्वारा पूछे गए दिनांक 06 फरवरी, 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	रारा-45 (नया रारा-32) के 32/000 से 50/000 खंड तक किलाम्बक्कम / उरपक्कम से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण	18.00	2950.00
2	रारा-48 (पैकेज-1) के मदुरावोयल (चेनेज किमी 14+000) से चेन्नई आउटर रिंग रोड (चेनेज किमी 22+100) तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण	8.10	1476.79
3	रारा-38 (पुराना रारा-45बी) के त्रिची-मदुरै खंड के किमी 4/000 से किमी 7/000 तक एलिवेटेड कॉरिडोर और ग्रेड सुधार, जिसमें पुराने रारा-67 के त्रिची बाईपास पर फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है।	3.00	331.12
	कुल (एनएचएआई)(3 संख्या)	29.10	4,757.91
1	एनएच 85 (मदुरै - कोचीन रोड) के किमी 190/8 पर कूवलिंगा नदी पर मौजूदा संकीर्ण छोटे पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	0.050	8.00
2	कल्लार नदी (तंजावुर - परमाबलुर - अत्तूर रोड) पर उच्च स्तरीय पुल का पुनर्निर्माण	0.055	13.20
3	उप्पिलीपलायम फ्लाईओवर में सुधार और एनएच 948 (कोयंबटूर - सत्यमंगलम रोड) के किमी 315/4-320/8 तक सुदृढ़ीकरण	0.550	20.00
4	एनएच 67 के किमी 382/6 पर अतिरिक्त पुल का निर्माण (नए एनएच 181 के किमी 49/6)	0.20	11.23
5	सिंगनल्लूर जंक्शन पर एनएच 181 के किमी 3/0 - 5/4 पर जंक्शन सुधार सहित फ्लाई ओवर का निर्माण, जिसमें वसंत मिल जंक्शन और उझावर संथाई जंक्शन में ब्लैक स्पॉट का स्थायी सुधार शामिल है।	2.40	167.54
6	किमी 17/120 पर संकटग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण (संगनूर) एनएच 181 के किमी 16/8 - 17/560 पर जंक्शन सुधार प्रदान करना और एनएच 181 पर किमी 16/8 - 17/560 पर जंक्शन सुधार प्रदान करना।	0.075	20.00
	कुल(राज्य पीडब्ल्यूडी)(6 संख्या)	3.33	239.97
	कुल (एनएचएआई + राज्य पीडब्ल्यूडी)(9 संख्या)	32.43	4,997.88

*****